

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/52/2021

अपीलांत श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री दौलाराम
निवासी कुम्हारों का वास, पचपदरा जिला बाड़मेर 344032

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक : 03.08.2021

अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री दौलाराम निवासी कुम्हारों का वास, पचपदरा जिला बाड़मेर 344032 ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार पचपदरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 31.05.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा बावजूद नोटिस तामील निर्धारित सुनवाई तिथि को न तो स्वयं उपस्थित हुये और न ही अपील का पदवार जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को निस्तारित किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांत की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना-पत्र का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।



kon
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर